

राजस्थान सरकार
राजस्व § गुप-6 § विभाग

प्रेषित:- सम्स्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांक:- प. 5§16§राज-6/92/6

जयपुर, दिनांक:- 04.05.2000

-: प रि प त्र :-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

विषय:- कृषि भूमि के सह उत्तराधिकारी द्वारा दस्तबरदानी
§ रिलीज डीड § के माध्यम से क्लेम का त्याग एवं
नामान्तकरण न करने बाबत ।

खातेदार कृषक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों द्वारा अन्य
उत्तराधिकारियों के पक्ष रिलीज डीड के माध्यम से क्लेम का त्याग एवं नामान्तकरण
के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 5§16§राज-6/92/16 दिनांक
08.09.1993 के अनुसार विधवा अथवा पुत्रियां रिलीज डीड के माध्यम से अथवा हक
अन्य वारिसान के पक्ष में त्याग कर सकते थे एवं रिलीज डीड पेश करने पर
नामान्तकरण स्वीकृत किया जा सकता था ।

अतः विधि विभाग के अनुसार उपरोक्त परिपत्र विधि सम्मत नहीं है ।
इस विभाग का उपरोक्त परिपत्र दिनांक 08.09.1993 को सदत्द्वारा वापिस
लिया जाता है ।

7
mis.
§ प्रदीप देब §
राजस्व सचिव